

V.S.O, 6585

26/3/2016 "36"

प्रश्न सं. [क. 6585]  
संचालनालय कोष एवं लेखा  
मध्यप्रदेश

क./डीटीए/युक्तियुक्तकरण/2016/78  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 15-7-16

आयुक्त,  
एकीकृत बाल विकास सेवा,  
विजयाराजे वात्सल्य भवन  
प्लाट नं.28-ए,अरेरा हिल्स  
भोपाल (म.प्र.)

विषय:- आहरण एवं सवितरण अधिकारियों की संख्या कम करने के संबंध में ।  
संदर्भ:- संचालनालय कोष एवं लेखा का पत्र क./डीटीए/युक्तियुक्तकरण/2016/38  
दिनांक 31.05.2016

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । देयक बनाने, आहरण करने एवं भुगतान करने की प्रक्रिया आनलाईन होने के संदर्भ में आहरण अधिकारियों का युक्तियुक्तकरण करते हुए,संख्या में कमी करने हेतु वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2012 में लिए गए सैद्धांतिक निर्णयानुसार दिनांक 15 जुलाई,2016 से समस्त परियोजना अधिकारी,महिला बाल विकास के आहरण अधिकार निष्क्रिय करने का निर्णय लिया गया है ।

सचिव,म.प्र.शासन,वित्त विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि इस हेतु आवश्यक निर्देश अधीनस्थ कार्यालयों को जारी करने में समय लगेगा ,अतः चर्चानुसार समस्त परियोजना अधिकारियों (Project Officers) को प्रदत्त आहरण अधिकारों को समाप्त करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारियों के माध्यम से आहरण व्यवस्था लागू करने में दिनांक 15 जुलाई के स्थान पर 16 अगस्त,2016 से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

अनुरोध है कि अपने समस्त अधीनस्थ परियोजना अधिकारियों/जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देशित करें कि जुलाई,2016 माह का वेतन समय पर आहरित कर पद/कर्मचारी/बजट जिला कार्यक्रम अधिकारियों के डी.डी.ओ. कोड में स्थानांतरित करने की कार्यवाही पूर्ण करें ताकि उनके अगस्त,2016 माह अथवा इसके पश्चात के वेतन एवं अन्य मदों के आहरण में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो ।

Budh-5/11/16  
20.7.16

414  
19-7-16

AD Budget  
N. Kumar

आयुक्त  
कोष एवं लेखा

19/7


अनुमति अधिकारी  
म. प्र. शासन  
महिला एवं बाल विकास विभाग

पु.क./डीटीए/युक्तियुक्तकरण/2016/79  
प्रतिलिपि,

भोपाल, दिनांक 15-7-16

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) - प्रथम, म.प्र., ग्वालियर ।
4. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) - द्वितीय, म.प्र., ग्वालियर ।
5. सगस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश ।
7. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।

आयुक्त  
कोष एवं लेखा

  
आयुक्त  
म. प्र. शासन  
महिला एवं बाल विकास विभाग